न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री महावीर प्रसाद नायक आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
132 / 14 / वाद पत्र	07.11.2014	19.08.2019

उनवान

देबी लाल पिता रघुनाथ धाकड़ निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– वादी

बनाम

1. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, शाहपुरा
2. जिलाधीश भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा – 188 आर. टी. ए.

उपस्थित :– 1 श्री अनिल शर्मा :– अभिभाषक – वादी
2 श्री दुर्गालाल राजोरा :– अभिभाषक – प्रतिवादी नम्बर 1

निर्णय

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :– अभिभाषक वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0ए0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कस्बा शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा में वादी के खातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 5154 रकबा 0.06 हैक्टेयर स्थित है। जिस पर विगत कई वर्षों से वादी का कब्जा काश्त है। वादी ने उपरोक्त आराजी की सुरक्षा के लिए चारों ओर पट्टियां गाडकर सुरक्षित किया है। प्रतिवादी नम्बर 1 ने नाजायज रूप से अपने पद व प्रभाव का दुरूपयोग करते हुए धारा 203 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत सूचना पत्र 8582 / 09 / 11 / 02 प्रेपित किया, जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार नही है। वादी ने मौके पर नगरपालिका की जमीन पर अतिक्रमण नही किया है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त अवैध सूचना पत्र की आड़ में वादी को मोके से बेदखल कर दिया गया तो घोर कठिनाई होगी। प्रतिवादी नम्बर 2 राज्य सरकार होने से पक्षकार बनाया गया है। अतः वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि वाद पत्र के पेरा नम्बर 1 में वर्णित कृषि आराजी से वादी को बेदखल नही करें, न अपने नोकरों, एजेन्टों द्वारा बेदखल करें, न करावें व उक्त आराजी जो कि वादी के कब्जे काश्त में है, के उपयोग, उपभोग में प्रतिवादीगण स्वयं व न अपने नोकरों, एजेन्टों से किसी प्रकार की बाधा नही पहुंचावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर पक्षकारान् की तलबी की गई। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नही करने से उनका जवाब दावा बन्द किया गया। वादी स्वयं का शपथ–पत्र साक्ष्य के रूप में पेश किया गया। वादी से अभिभाषक प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

जिरह की गई। दिनांक 13.08.2019 को बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में अभिभाषक वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों एवं राजस्व दस्तावेजात के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा वादी के वाद पत्र को खारीज किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं प्रकरण एवं प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रदर्श 1 नगरपालिका का नोटिस जो वादी को दिया गया। प्रदर्श 2 नक्शा ट्रेस हाल प्रदर्श 3 वर्तमान जमाबन्दी नकल संवत् 2056–2059 तक है, जिसमें अन्य आराजीयात के साथ आराजी नम्बर 5154 रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म बंजड का वादी देबीलाल पिता रघुनाथ धाकड साकिन देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार जमाबन्दी ग्राम शाहपुरा संवत् 2068–2071 वादग्रस्त आराजीयात का वादी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी खातेदार दर्ज रिकॉर्ड होकर नगरपालिका द्वारा उसे जानबूझकर नोटिस दिया गया है, जिससे वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

–::आदेश ::–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी नम्बर 1 इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 5154 रकबा 0.06 हैक्टेयर कृषि आराजी से वादी को प्रतिवादी नम्बर 1 बेदखल नही करें। न अपने नौकरों, एजेन्टों द्वारा बेदखल करें न करावें। उक्त आराजी वादी के कब्जे काश्त में है, के उपयोग, उपभोग में प्रतिवादीगण स्वयं व न अपने नोकरों, एजेन्टों से किसी प्रकार की बाधा नही पहुचावें। डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(महावीर प्रसाद नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री महावीर प्रसाद नायक [illegible]

श्री देबीलाल S/o रघुनाथ धाकड़ नि-शाहपुरा। बनाम श्री अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका शाहपुरा।
2. जिलाधीश भीलवाड़ा।

—वादी

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 RTA

मुकदमा नम्बर 132 सन 14 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व X मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती हैं कि :– वाके ग्राम शाहपुरा तह० शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आ० नं. 5154 रकबा 0.06 हे० कृषि आराजी से वादी को बेदखल प्रतिवादीगण। बेदखल नहीं करे, न अपने नौकरों, एजेन्टों द्वारा बेदखल करे, न करावे व उक्त आराजी वादी के कब्जे काश्त में है के उपभोग, उपयोग में प्रतिवादीगण स्वयं व अपने नौकरों एजेन्टों से किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचावे।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख द सूलयाबी तक अदा करें ।

[illegible] मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 19 माह 8 सन 19

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner